पत्र संख्या–स्था0–1–सामान्य स्थानान्तरण–वर्ष 2019.20 / 814 / वाणिज्य कर
कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0
(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक 28 मई, 2019

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त ज्वाइन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
समस्त अपर सांख्यकीय अधिकारी, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

गत वर्ष सरकारी कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शासन की वार्षिक स्थानान्तरण नीति के कम में स्थानान्तरण के पात्रता में आने वाले विभागीय राजपत्रित अधिकारियों से विकल्प आमत्रित किये गये थे । वर्ष 2019.20 की स्थानान्तरण नीति के विकल्प निम्न प्रकार आमत्रित किये जाते है

1– उत्तर प्रदेश शासन की स्थानान्तरण नीति के तहत वाणिज्य कर विभाग में समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारी अपने सेवाकाल में किसी जनपद में कुल 03 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, को उक्त जिलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। इसी प्रकार समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकारी अपने सेवाकाल में मण्डल में 07 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, उन्हें उक्त मण्डलों से स्थानान्तरित किया जायेगा। समूह ''क'' के अधिकारियों को उनके गृह मण्डल में तैनात नही किया जायेगा। समूह ''ख'' के अधिकारियों को उनके गृह जनपद में तैनात नही किया जायेगा।

2– सचल दल इकाईयों में तैनात अधिकारी (असिस्टेन्ट कमिश्नर व वाणिज्य कर अधिकारी) जिन्होने दिनांक 30.06.2019 को एक वर्ष या एक स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर लिया है।

3– विशेष अनुसन्धान शाखा (वि0अनु0शा0) मे तैनात अधिकारी, जिन्होंने दिनांक 30.06. 2019 को वि0अनु0शा0 में 02 वर्ष या दो स्थानान्तरण सत्र पूर्ण कर लिया है।

4– सचलदल से सचलदल, वि0अनु0शा0 से वि0अनु0शा0 एवं सचलदल से वि0अनु0शा0 अथवा वि0अनु0शा0 से सचलदल मे तैनाती नही की जायेगी।

5. वाणिज्यकर मुख्यालय, प्रशिक्षण केन्द्र, उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय गाजियाबाद कार्य के पदो पर की गयी सेवा को पूर्व से ही जिले अथवा मण्डल की गणना में शमिल नही किया जायेगा ।

6. मनोरंजन कर विभाग का वाणिज्य कर विभाग में विलय हो जाने के कारण वाणिज्य कर विभाग द्वारा जारी स्थानान्तण नीति के अनुरुप पूर्व में मनोरंजन कर विभाग में कार्यरत अधिकारियो द्वारा भी विकल्प प्रस्तुत किये जायेगे ।

शासन द्वारा यदि स्थानान्तरण नीति में यदि कोई परिवर्तन किया जाता है तो उक्त नीतिगत निर्देश तदनुसार संशोधित माने जायेगे तथा आवश्यकतानुसार अधिकारी अपना संशोधित विकल्प प्रेषित करेगे ।

हाल ही में पदोन्नत स्थानान्तरणाधीन सभी अधिकारियों द्वारा भी अपने विकल्प प्रस्तुत किये जायेगे। प्राप्त विकल्पों पर यथासम्भव ही विचार किया जायेगा तथा इससे किसी कार्मिक का किसी पद / स्थान पर स्थानान्तरण का कोई दावा मान्य नहीं होगा। स्थानान्तरण विकल्प

केवल ऑनलाइन माध्यम से विभागीय वेबसाइट http://comtax.up.nic.in में Departmental Services के अन्तर्गत उपलब्ध EMPLOYEES INFORMATION SYSTEM पर अंकित कर दिये जा सकेंगे। विकल्प भरने की अन्तिम तिथि दिनांक 12.06.2019 होगी ।

(अमृता सोनी)
कमिश्नर वाणिज्यकर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र सं0 व दिनांक :: उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग—1/3, उत्तर प्रदेश शासन।

2— अपर निदेशक (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर ,लखनऊ।

3— निबन्धक, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

4— ज्वाइन्ट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को इस निर्देश के साथ कि अविलम्बं अधिकारियों के ई0आई0एस0 मोड्यूल के माध्यम से ऑनलाइन विकल्प प्रस्तुत करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

5— कम्प्यूटर आपरेटर ग्रेड—ए, स्थापना—राजपत्रित, मुख्यालय, लखनऊ।

20/05/19

(राजेश प्रताप सिंह चन्देल)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना)
वाणिज्य कर मुख्यालय।